Date - 18 Feb 2022

राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस (NLSD)

- हाल ही में कानून और न्याय मंत्रालय ने लोकसभा को अखिल भारतीय कानूनी जागरूकता और आउटरीच अभियान के बारे में सूचित किया, जिसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस (NLSD) के अवसर पर अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया था।
- सभी नागरिकों के लिए निष्पक्ष, निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस (NLSD) मनाया जाता है।

राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस (NLSD) और संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- NLSD को पहली बार वर्ष 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।
- इसके तहत दीवानी, फौजदारी और राजस्व अदालतों, न्यायाधिकरणों या अर्ध-न्यायिक कार्यों को करने वाले किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष मामलों में मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
- यह दिन देश के नागरिकों को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत वादियों के विभिन्न प्रावधानों और अधिकारों से अवगत कराने के लिए मनाया जाता है। इस दिन हर कानूनी अधिकार क्षेत्र में सहायता शिविर, लोक अदालत और कानूनी सहायता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद **39A** में कहा गया है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली इस तरह से काम करे कि न्याय समान अवसर के आधार पर सुलभ हो और विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसर से वंचित किया जाता है।
- अनुच्छेद **14** और **22(1)** भी राज्य के लिए कानून के समक्ष समानता और सभी के लिए समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने वाली कानूनी प्रणाली सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाते हैं।

कानूनी सेवा प्राधिकरणों के उद्देश्य:

- मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह प्रदान करना।
- कानूनी जागरूकता फैलाना।

Yojna IAS

- लोक अदालतों का आयोजन करना।
- वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र के माध्यम से विवादों के निपटारे को बढ़ावा देना। विभिन्न प्रकार के एडीआर तंत्र हैं- लोक अदालत के माध्यम से निपटान या मध्यस्थता सहित मध्यस्थता, सुलह और न्यायिक समझौता।
- अपराध पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करना।

कानूनी सेवा संस्थान मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करेंगे:

राष्ट्रीय स्तर:

- राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण **(NALSA):** इसका गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत किया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके मुख्य संरक्षक हैं।

राज्य स्तर:

- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण: इसका प्रमुख राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, जो इसका मुख्य संरक्षक होता है।

जिला स्तर:

- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण: जिले का जिला न्यायाधीश इसका पदेन अध्यक्ष होता है।

तालुका/उप-मंडल स्तर:

- तालुका/उप–विभागीय विधिक सेवा समिति: इसकी अध्यक्षता एक वरिष्ठ सिविल जज करते हैं।
- उच्च न्यायालय: उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति
- सुप्रीम कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति।

मुफ्त कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने के पात्र व्यक्ति:

- महिलाएं और बच्चे
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य
- औद्योगिक श्रमिक
- सामूहिक आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा के शिकार।
- विकलांग व्यक्ति
- हिरासत में उपस्थित व्यक्ति वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि से कम है, यदि मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किसी अन्य न्यायालय के समक्ष है और यदि मामला 5 लाख रुपये से कम है।
- मानव तस्करी के शिकार या बलात् श्रम में लगे लोग।

Yojna IAS

नव भारत साक्षरता कार्यक्रम

- हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 2021-22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए 2022-2027 की अवधि के लिए "नव भारत साक्षरता कार्यक्रम" को मंजूरी दी है।
- यह बजट 2021-22 के अनुरूप है, जिसमें वयस्क शिक्षा को कवर करने वाले संसाधनों, ऑनलाइन मॉड्यूल तक पहुंच के विस्तार की घोषणा की गई है।
- "नव भारत साक्षरता कार्यक्रम" का अनुमानित कुल परिव्यय रु.90 करोड़ है, जिसमें वर्ष 2022-27 के लिए क्रमशः रु.700 करोड़ का केंद्रीय हिस्सा और रु.337.90 करोड़ का राज्य हिस्सा शामिल है।
- देश में प्रौढ़ शिक्षा का नाम अब बदलकर 'सभी के लिए शिक्षा' कर दिया गया है।

नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य:

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल बुनियादी साक्षरता और अंकगणितीय शिक्षा प्रदान करना है बल्कि अन्य घटकों को भी शामिल करना है जो 21वीं सदी के नागरिकों के लिए आवश्यक हैं।

अन्य घटकों में शामिल हैं:

- महत्वपूर्ण जीवन कौशल (वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, वाणिज्यिक कौशल, स्वास्थ्य देखभाल और जागरूकता, बाल देखभाल और शिक्षा, और परिवार कल्याण आदि) ।
- व्यावसायिक कौशल विकास (स्थानीय रोजगार प्राप्त करने की दृष्टि से) ।
- बुनियादी शिक्षा (प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक स्तर पर समकक्षता सहित) ।
- सतत शिक्षा (कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, खेल और मनोरंजन में समग्र वयस्क शिक्षा पाठ्यक्रमों के उपयोग के साथ-साथ स्थानीय शिक्षार्थियों के लिए रुचि के अन्य विषयों जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल पर अधिक उन्नत सामग्री सहित) ।

योजना का क्रियान्वयन

- योजना को स्वयंसेवा द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से लागू किया जाएगा।
- प्रत्यक्ष मोड के माध्यम से स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण, अभिविन्यास, कार्यशालाओं का आयोजन किया जा सकता है। योजना से संबंधित सभी सामग्री और संसाधन डिजिटल रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे।
- योजना के क्रियान्वयन की इकाई स्कूल होगा।
- लाभार्थियों और स्वैच्छिक शिक्षकों का सर्वेक्षण करने के लिए स्कूलों का उपयोग किया जाएगा।

योजना में शामिल लोग:

- देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर-साक्षर लोग।

Yojna IAS

- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, एनसीईआरटी और एनआईओएस के सहयोग से 'ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम (ओटीएलएएस)' का उपयोग करते हुए, 1 करोड़ प्रति वर्ष की दर से 5 करोड़ शिक्षार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

योजना की आवश्यकता:

- 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के निरक्षर लोगों की कुल संख्या 25.76 करोड़ (पुरुष 9.08 करोड़, महिला 16.68 करोड़) है।
- वर्ष 2009-10 से वर्ष 2017-18 तक लागू साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत साक्षर के रूप में प्रमाणित 7.64 करोड़ लोगों को भी ध्यान में रखते हुए, यह अनुमान लगाया गया है कि वर्तमान में भारत में लगभग 18.12 करोड़ वयस्क निरक्षर हैं।

अन्य संबंधित पहल:

- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी): इसका उद्देश्य बड़े, गुणवत्तापूर्ण और लाभदायक व्यावसायिक संस्थानों के निर्माण को उत्प्रेरित करके कौशल विकास को बढ़ावा देना है। यह कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाले उद्यमों, कंपनियों और संगठनों को वित्तपोषण प्रदान करके कौशल विकास में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।
- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम: यह कई मौजूदा योजनाओं का पुनर्गठन करता है, जिसके बाद उन्हें समकालिक तरीके से लागू किया जाता है।
- प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान: नागरिकों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के उद्देश्य से यह देश की सबसे बड़ी पहलों में से एक है।
- राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन: इसका लक्ष्य वर्ष 2020 तक महत्वपूर्ण डिजिटल साक्षरता कौशल के साथ प्रति परिवार कम से कम एक व्यक्ति को सशक्त बनाना है।
- समग्र शिक्षा: यह स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्री-स्कूल से बारहवीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है।

Yojna IAS

चीनी मोबाइल एप्लिकेशन पर प्रतिबंध: गृह मंत्रालय

- हाल ही में गृह मंत्रालय ने 54 चीनी मोबाइल एप्लिकेशन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है, जिसमें लोकप्रिय गेम 'गेरेना फ्री फायर' भी शामिल है, जिससे गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में चिंता बढ़ गई है।
- वर्ष 2020 में, सरकार ने चीन में टिकटॉक और अन्य लोकप्रिय लघु वीडियो ऐप्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया।
- भारत में ऐसे ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय न केवल एक भू-राजनीतिक कदम है, बल्कि एक रणनीतिक व्यापार पैंतरेबाज़ी भी है जिसके महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव हो सकते हैं।

- पहले यह देखा गया था कि चीन के साथ भारत का व्यापार वर्ष 2021 में 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया, चीन से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड आयात हुआ, जो भारत में चीनी सामान, विशेष रूप से मशीनरी का आयात करता है। एक श्रृंखला की निरंतर मांग को रेखांकित किया।

निर्णय के लाभ:

देश के प्रौद्योगिकी बाजार में मदद:

- भारतीय जनता के लिए इन चीनी वेबसाइटों और अनुप्रयोगों को प्रतिबंधित करने से हमारी आंतरिक आईटी प्रतिभा को अवसर प्रदान करने और इंटरनेट उपयोगकर्ता पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है।
- सिलिकॉन वैली (अमेरिका) और चीन में बड़ी टेक फर्म हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में भारतीय उपभोक्ताओं को लेकर भ्रमित हैं, लेकिन भारत का ध्यान अपने देश के प्रौद्योगिकी बाजार की तुलना में आईटी सेवाओं के निर्यात पर अधिक है।

निष्क्रिय कूटनीति पर अब भरोसा नहीं:

- इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने से भारत की ओर से यह भी स्पष्ट संदेश जाता है कि वह अब चीन की निबल एंड नेगोशिएट नीति का शिकार नहीं होगा।
- लद्दाख में गतिरोध जारी है।

चीन की महत्वाकांक्षा को ठेस:

- प्रतिबंध चीन के सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों में से एक को प्रभावित कर सकता है, अर्थात् 21वीं सदी की डिजिटल महाशक्ति बनना।
- चीनी इंटरनेट उद्योग को शेष विश्व पर नियंत्रण स्थापित करने के अपने प्रयास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम के लिए प्रशिक्षण जारी रखने के लिए भारत से 500 मिलियन से अधिक नेटिज़न्स की आवश्यकता है।

डेटा के महत्व को पहचानना:

- ऐप्स पर भारत का प्रतिबंध और टेलीकॉम हार्डवेयर और मोबाइल हैंडसेट से संबंधित प्रतिबंधों पर विचार करना डेटा संग्रह और डिजिटल तकनीक के लिए मददगार साबित हो सकता है।

निर्णय के विरोध में तर्क:

डेटा गोपनीयता चीनी ऐप्स तक सीमित नहीं है:

Yojna IAS

- हाल के दिनों में अनधिकृत उपयोगकर्ताओं के डेटा चोरी होने और भारत के बाहर सर्वरों तक पहुंचने की रिपोर्ट के बाद ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
- हालांकि, डेटा गोपनीयता और सुरक्षा चिंताएं केवल चीनी ऐप्स तक ही सीमित नहीं हैं।

चीन पर भारत की आर्थिक निर्भरता:

- चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाना एक अपेक्षाकृत छोटा लक्ष्य है क्योंकि भारत कई महत्वपूर्ण और रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में चीनी उत्पादों पर निर्भर है।

प्रतिस्थापन की कमी:

- 118 से अधिक चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद, भारतीय तकनीक के माध्यम से अन्य वेबसाइटों और एप्लिकेशन ने इस अंतर को पाटना शुरू कर दिया है। लेकिन यह चीनी वेबसाइटों और एप्लिकेशन के उपयोग को रोकने में सक्षम नहीं है।

Swadeep Kumar

Yojna IAS